FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0280 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/11/2024 18:29 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 29/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 15:22 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्रास हुई):** **Date (दिनांक):** 30/11/2024 **Time (समय):** 17:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/11/2024 18:29:29 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** JEN KARYALAY, CHLA, DISTRICT NEEMKATHANA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUMER SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** UMMED SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHANEE SUGANSINGH, GRAM CHHAPAR, THOI, NEEM KA THANA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHANEE SUGANSINGH, GRAM CHHAPAR, THOI, NEEM KA THANA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANJAY CHAODHARY		पिता:RAJKARAN SINGH	1. DHANEE MODI WALI,SRI MADHOPUR,NEEM KA THANA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 25.11.2024 को परिवादी श्री सुमेर सिंह ने एसीबी चौकी कार्यालय, सीकर में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया "सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी सीकर विषय- रिश्वत खोरा को पकड़वाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि लगभग दो सप्ताह पहले मेरा घरेलु बिजली का मीटर जलने पर मैंने संबधित लाईनमैन श्री रविन्द्र यादव से अपनी रिपोर्ट कराके मेरा प्रार्थना पत्र चला बिजली कार्यालय में जेईएन संजय चौधरी दिया तो उन्होने मेरी अपलिकेशन अपने पास रखली एंव कहां कि इसके लिए आपको पैसे देनें पड़ेगे नही तो आपका विसीआर भरा जाएगा। मैं इन लोगों को रिश्वत नही देकर इन्हे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ मेरी इससे कोई रंजीस एंव उधार का लेनदेन नही है। कारवाही करें। दिनांक 25.11.2024, प्रार्थी सुमेर सिंह शेखावत पुत्र उमेद सिंह जाति राजपुत उमर 22 साल निवासी ढाणी सुगन सिंह की ग्राम छापर नीमकाथाना 25.11.2024, [redacted] परिवादी श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह, उम्र-23 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ढाणी सुगनसिंह, ग्राम छापर, पुलिस थाना थोई, जिला नीमकाथाना ने मजिद दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री संजय चौधरी जेईएन से पहले की कोई रंजिश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत लेन-देन का पाया जाने पर अग्रिम कार्यवाही आरम्भ की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री सुमेर सिंह ने बताया कि कल दिनांक 26.11.2024 को श्री संजय चौधरी जेईएन से अपने काम के संबंध में बाचतीत करने जाऊंगा। जिस पर श्री रामनिवास कानि. को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री सुमेर सिंह एवं श्री रामनिवास कानि. का आपस में परिचय करवाया गया। कार्यालय की डीवीआर मंगवाकर डीवीआर में मेमोरी कार्ड डालकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर को बन्द करने व चालू करने की विधि परिवादी श्री सुमेर सिंह को समझाई गई। परिवादी श्री सुमेर सिंह को हिदायत की गई कि कल संदिग्ध से अपने काम के संबंध में बातचीत करने हेतु जाने से पहले चला कस्बे में श्री रामनिवास कानि. से डीवीआर प्राप्त कर संदिग्ध के साथ होने वाली वार्ता को डीवीआर में रिकार्ड करे। कानि. श्री रामनिवास को मुनासिब हिदायत दी जाकर परिवादी श्री सुमेर सिंह को रूखसत किया गया। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपनी आलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 26.11.2024 को समय 08.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री रामनिवास कानि. को अपने कक्ष में बुलाकर आलमारी में पूर्व से सुरक्षित रखे डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को निकालकर श्री रामनिवास कानि. को सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब कर चला कस्बा पहुँचकर परिवादी श्री सुमेर सिंह से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कस्बा चला रवाना किया गया। समय 12.21 पीएम पर श्री रामनिवास कानि. ने अपने मोबाईल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक को कॉल कर बताया कि मै आपके निर्देशानुसार चौकी कार्यालय से रवाना होकर, चला कस्बा पहुँचकर, परिवादी श्री सुमेरसिंह से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर मिला। परिवादी के बतायेनुसार मैं एंव परिवादी कांवट रोड, चला स्थित संदिग्ध श्री संजय चौधरी, जेईएन के एवीवीएनएल कार्यालय के बाहर पहुँचे। जहां पर मैंने डीवीआर को चालु करके परिवादी श्री सुमेर सिंह को सुपुर्द कर दिया। परिवादी एवीवीएनएल कार्यालय के अन्दर चला गया एंव मैं एवीवीएनएल कार्यालय के बाहर ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम रहा। कुछ देर बाद परिवादी श्री सुमेर सिंह ने एवीवीएनएल कार्यालय के बाहर आकर डीवीआर मेरे को सुपुर्द किया, जिसको मैंने बन्द करके अपने पास सुरक्षित रख लिया। साथ ही श्री रामनिवास कानि. ने अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक की बातचीत परिवादी श्री सुमेर सिंह से करवाई तो परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि "मैंने श्री रामनिवास जी से रिकार्डर प्राप्त करके एवीवीएनएल कार्यालय के अन्दर जाकर अपनी सीट पर बैठे जेईएन श्री संजय चौधरी से मेरे मीटर को बदलवाने के सम्बन्ध में बातचीत की तो जेईएन साहब ने मेरे से मेरा नाम पता पूछकर अपनी टेबल की दराज में से मेरे द्वारा पूर्व में मीटर बदलवाने हेतु दी गई एप्लीकेशन को निकालकर कहा कि आपका काम हो जायेगा, इसके लिए आपको मुझे 1500 रूपये देने होगें। जेईएन साहब ने मेरे को यह भी कहा कि आपको मीटर की रसीद के 900 रूपये अलग से एईएन कार्यालय, नीमकाथाना में जमा करवाने पड़ेगें या आपके बिजली के बिल में जुड़कर आ जायेगें। इसके साथ ही परिवादी ने यह भी बताया कि मैं एक-दो दिन शादी-समारोह एंव अपने निजी कामों में व्यस्त हूं इसलिये आज आपके कार्यालय में उपस्थित नही हो सकता। आईन्दा आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को मुनासीब हिदायत कि जाकर श्री रामनिवास कानि. को हिदायत की गई कि परिवादी को वही छोड़कर कार्यालय में उपस्थित होवें। समय 03.30 पीएम पर

श्री रामनिवास कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर डीवीआर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर पूर्व में जरिये मोबाईल बतायी गयी बातों की ताईद की। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डीवीआर को लेपटॅाप से जोड़कर परिवादी श्री सुमेर सिंह की संदिग्ध के साथ हुई वार्ताओ को सुना गया तो संदिग्ध द्वारा परिवादी के मीटर को बदलने की एवज में 1500 रूपये बतौर रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। डीवीआर को सुरक्षित अलमारी में रखा गया। आईन्दा परिवादी श्री सुमेर सिंह के कार्यालय में उपस्थित होने पर ट्रेप सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 28.11.2024 को समय 04.20 पीएम पर परिवादी श्री सुमेर सिंह ने अपने मोबाईल नं. [redacted] से मन् पुलिस निरीक्षक को कॅाल करके बताया कि मैं आपके कार्यालय में उपस्थित नही हो सकता। आप मेरे पास कस्बा चला में आकर ही अग्रिम कार्यवाही करें। मैं कल दिनांक 29.11.2024 को जेईएन श्री संजय चौधरी से मेरा मीटर बदलने के लिए रिश्वत के मांगे गये 1500 रूपये देने एवीवीएनएल कार्यालय जाउंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुमेर सिंह को हिदायत की गई कि अगले दिन सुबह दिनांक 29.11.2024 को एवीवीएनएल कार्यालय जाने से पहले 1500 रूपये की रिश्वत राशि की व्यवस्था करके चला कस्बा में मौजुद मिलें। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार हैड कानि. को जरीये तहरीर देकर मुख्य प्रबन्धक, रा.रा.पथ परिवहन निगम, सीकर आगार से दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया जिस पर श्री मनोज कुमार हैड कानि. मुख्य प्रबन्धक, रा.रा.पथ परिवहन निगम, सीकर आगार से स्वतंत्र गवाह श्री अनिल कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र-26 वर्ष, जाति जाट, निवासी गांव जसरासर, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर हाल वरिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सीकर आगार, मोबाईल नम्बर [redacted] एंव श्री नेमीचन्द ढाका पुत्र श्री हेमाराम, उम्र-50 वर्ष, जाति जाट, निवासी गांव गुंगारा, पुलिस थाना दादिया जिला सीकर हाल चालक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सीकर आगार, मोबाईल नम्बर [redacted] को साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। दोनो स्वंतत्र गवाहों को अगले दिन दिनांक 29.11.2024 को सुबह 9.00 एएम पर चौकी कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासीब हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 29.11.2024 को पूर्व से पाबन्दशुद्वा स्वतंत्र गवाह श्री अनिल कुमार एंव श्री नेमीचन्द ढाका उपस्थित कार्यालय आये। दोनों गवाहान को मेरे कक्ष में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 11.50 एएम पर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से श्री अशोक कुमार एचसी से निकलवाकर सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाकर श्री सुभाषचन्द एएसआई, श्री अशोक कुमार एचसी, श्री मूलचन्द एचसी, श्री दलीप कुमार कानि., श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 को सरकारी वाहन से तथा मन् पुलिस निरीक्षक सुभाष मील मय स्वतंत्र गवाहान श्री अनिल कुमार, श्री नेमीचन्द ढाका, स्टाफ के श्री राजेन्द्र प्रसाद एचसी नं. 87, श्रीमती सुनिता एचसी नं. 43, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 जरिये प्राईवेट वाहन से मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 26.11.2024 का मेमोरी कार्ड, टे॰प बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर व डीवीआर मय नया मेमोरी कार्ड को साथ लेकर एसीबी कार्यालय से कस्बा चला के लिये रवाना होकर परिवादी श्री सुमेर सिंह से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर कस्बा चला से पहले मिलन होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, गुहाला नदी का नाका पहॅ्ूचा जहॅा परिवादी श्री सुमेर सिंह मौजूद मिला। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी से आवश्यक पूछताछ की तो परिवादी ने दिनांक 26.11.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बताये गये कथनों की ताईद की। परिवादी सुमेर सिंह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अनिल कुमार एवं श्री नेमीचन्द ढाका का आपस में परिचय करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान को परिवादी का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री सुमेर सिंह को हिदायत देने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध आरोपी श्री संजय चैधरी, कनिष्ठ अभियन्ता, अ.वि.वि.नि.लि. चला जिला नीमकाथाना को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच सौ रूपये का 01 नोट एंव सौ-सौ रूपये के 10 नोट कुल 1500 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार थेः- 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8AK 615347 2. एक नोट सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8DM 304460 3. एक नोट सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0SD 241572 4. एक नोट सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5PM 495235 5. एक नोट सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1VU 594849 6. एक नोट सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8TP 670204 7. एक नोट सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3EA 202752 8. एक नोट सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5FG 487232 9. एक नोट सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4HU 727762 10. एक नोट सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7FA 421627 11. एक नोट सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6AQ 181033 फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड से श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं. 76 से निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटों को एक टैबिल पर अखबार बिछाकर श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं. 76 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। गवाह श्री अनिल कुमार से परिवादी श्री सुमेर सिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 1500 रूपयों के नोटों को श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं. 76 से परिवादी श्री सुमेर सिंह की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाकर परिवादी श्री सुमेर सिंह को रास्ते में इन रूपयों को नही छुने व आरोपी से मिलने पर आरोपी से हाथ नही मिलाने एवं आरोपी से अपने काम के संबध में बात करने तथा आरोपी द्वारा मांग किये जाने पर स्वंय की जेब में रखे पाऊडर लगे उक्त रूपये निकालकर उसे देने तथा आरोपी

द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर [redacted] से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कॅाल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं. 76 से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग नही बदला। इस घोल में श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं. 76 जिसने नोटो पर फिनोपथलीन पाऊडर लगवाया गया, के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार प्रर्दशन करवाकर दोनो पाऊडरों फिनोपथलीन एंव सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी श्री सुमेर सिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं. 76 से प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फिंकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एंव अखबार जिस पर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट कराया गया। परिवादी श्री सुमेर सिंह, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। कार्यालय की डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को श्री रामनिवास कानि. को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब सदिंग्ध के पास रिश्वत लेनदेन हेतु जाये, उससे पूर्व डीवीआर को चालु करके परिवादी श्री सुमेर सिंह को सुपुर्द करें। परिवादी को हिदायत की गई कि जब सदिग्ध के पास रिश्वत लेनदेन हेतु जाने से पूर्व रामनिवास से डीवीआर प्राप्त करके सदिग्ध के साथ होने वाली वार्ता को रिकार्ड करें। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं. 76 को सुपुर्द कर एसीबी कार्यालय पहॅुचने की मुनासीब हिदायत की जाकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात परिवादी के चाहेनुसार आरोपी जेईएन को रिश्वती राशि उसके कार्यालय में ही देना सुनिश्चित कर परिवादी श्री सुमेर सिंह एवं श्री रामनिवास कानि. को परिवादी की मोटरसाईल से रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के मिलन होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट से जेईएन कार्यालय चला के लिये रवाना होकर जेईएन कार्यालय के पास खण्डेला मोड़, चला पहॅूचा। जहां वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी सुमेर सिंह को आरोपी जेईएन की कार्यालय में मौजूदगी का पता लगाने हेतु मुनासिब हिदायत देने पर परिवादी श्री सुमेर सिंह ने अपने स्तर पर मालूमात कर आरोपी संजय चौधरी जेईएन का उसके कार्यालय में नहीं होना बताने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के आरोपी जेईएन के उसके कार्यालय मे आने के इन्तजार में वाहनों में ही मुकिम रहा। तत्पश्चात समय 03.10 पीएम पर परिवादी सुमेर सिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री सजंय चौधरी जेइएन अपने कार्यालय में आ गया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री रामनिवास कानि. से डीवीआर को चालू करवाकर, परिवादी को सुपुर्द कर, परिवादी को जेईएन कार्यालय की तरफ उसकी मोटरसाईल से रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के जेईएन कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर वाहनों को साईड में खडा करवाकर अपनी-अपनी उपस्थिति छूपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहा। समय 03.22 पीएम पर जेईएन कार्यालय चला के बाहर मुख्य सड़क पर मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी सुमेर सिंह ने जेईएन कार्यालय चला के मुख्य दरवाजे के बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतत्र गवाहान मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी को साथ लेते हुये परिवादी के पास पहॅूचा। जहां पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को डीवीआर सुपुर्द किया, जिसे बन्द करके मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद परिवादी ने जेईएन कार्यालय चला के अन्दर आकर परिसर में जिन्स एवं टीशर्ट पहने व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि "यही संजय चौधरी जेईएन है, जिन्होने अभी-अभी मेरे से मेरा बिजली का मीटर बदलवाने की एवज में 1500 रूपये अपने हाथों से लेकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की बांई साईड की जेब में रखे है।" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम संजय चौधरी कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अ.वि.वि.नि.लि. गुहाला, कैम्प चला, जिला नीमकाथाना होना बताते हुये कहा कि "मैने कोई रूपये नहीं लिये है" मौके पर उपस्थित परिवादी श्री सुमेर सिंह ने आरोपी के कथनो का खण्डन करते हुये बताया कि "दिनांक 26.11.2024 को मैने मेरे घरेलू कनेक्शन का मीटर बदलवाने के लिये इनसे मिला तो इन्होने मेरा मीटर बदलने के लिये मेरे से 1500 रूपये रिश्वत के मांगे थे। आज मैं इनके पास इनके कार्यालय में आया तो जेईएन साहब कार्यालय परिसर में अपने साथी कर्मचारियों के साथ बाहर बैठे थे। मेरे द्वारा नमस्कार करने पर जेईएन साहब मेरे को अपने कक्ष में लेकर गये और मेरी एप्लीकेशन अपनी दराज में से निकालकर मुझे रूपये देने का ईशारा किया तब मैने अपनी जेब में से पाउडर लगे 1500 रूपये इनको दे दिये। इसके बाद जेईएन साहब ने मुझे मेरी एप्लीकेशन व बिल देकर मुझे कहा कि मैने आपका काम कर दिया है। इसके बाद जेईएन साहब मेरे साथ-साथ वापिस अपने कक्ष से निकलकर बाहर परिसर में आ गये और मैने मुख्य दरवाजे पर आकर आपको ईशारा कर दिया।" मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी संजय चौधरी जेईएन का दाहिना हाथ कलाईयों के उपर से श्री राजेन्द्र प्रसाद एचसी नं. 87 एवं बांया हाथ श्री रामनिवास कानि. 485 से कलाईयों के उपर से पकड़वाये गये। तत्पश्चात आरोपी संजय चौधरी जेईएन को ज्यों की त्यों स्थिति में जेईएन कार्यालय के

बने हॅाल में लाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। श्री मूलचन्द एचसी के दोनों हाथों एवं दो प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलासों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलासों में साफ पानी भरवाकर थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन के बायें हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क RH-1 एंव RH-2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क LH-1 व LH-2 से सील्ड किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलासो को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन की गवाह श्री अनिल कुमार वरिष्ठ सहायक से आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन की पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की जामा तलाशी लिवाई गई तो जिन्स पेन्ट के पीछे की बांई जेब में एक नोट पांच सौ रूपये का व दस नोट सौ-सौ रूपयों के कुल 1500 रूपये मिले। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर फर्द में अकिंत करवाकर समस्त कुल 1500 रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन की पहनी हुई जिन्स पेन्ट के सामने की बायी जेब में 7200 रूपये पाये गये जिनके बारें में आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन से पूछने पर स्वयं के खर्चे के होना बताया, जिनको गवाह श्री अनिल कुमार वरिष्ठ सहायक को सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन को ससम्मान एक दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाकर उसकी पहनी हुई जिन्स पेन्ट को पेश करने की हिदायत देने पर उसने अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट निकालकर पेश की। तत्पश्चात श्री मूलचन्द एचसी के दोनों हाथों एवं एक नये प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन की पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की बांयी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क PW-1 एंव PW-2 अंकित किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री संजय चैधरी जेईएन की पेन्ट बरंग निली के पीछे की बायी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे़ की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क P अंकित किया गया। आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन द्वारा परिवादी श्री सुमेर सिंह को रिश्वत लेनदेन के समय दी गई परिवादी के विद्युत कनेक्शन का मीटर बदलने की एप्लीकेशन मय विद्युत बिल को परिवादी श्री सुमेर सिंह ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया, जिसका अवलोकन कर आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन से पूछने पर बताया कि "श्री सुमेर सिंह द्वारा दी गई एप्लीकेशन पर संबंधित लाईनमैन श्री रवीन्द्र ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.11.2024 को कर रखी है, इसके पश्चात दिनांक 26.11.2024 को मैने श्री सुमेर सिंह की एप्लीकेशन पर 11 केवी फोल्ट से मीटर जलने की रिपोर्ट कर रखी है।" परिवादी श्री सुमेर सिंह का कार्य बाधित ना हो, इसलिये परिवादी के प्रार्थना मय विद्युत बिल की फोटो प्रति करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर फोटो प्रति को कब्जा एसीबी लिया गया। मूल प्रार्थना पत्र मय बिल को मौके पर उपस्थित श्री रजत चतूर्वेदी जेईएन को सुपुर्द किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, PW-1 एंव PW-2, आरोपी जेईएन की पहनी हुई पेन्ट के सील्ड पेकेट मार्क P एवं सफेद कागज पर सील्ड रिश्वती राशि पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही के दौरान श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 से उसके मोबाईल फोन में नया मेमोरी कार्ड डलवाकर विडियोग्राफी करवाई गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द धुलाई हाथ एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री संजय चौधरी, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अ.वि.वि.नि.लि. गुहाला, कैम्प चला, जिला नीमकाथाना को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुये अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। समय 05.30 पीएम पर घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया गया। समय 06.00 पीएम पर परिवादी श्री सुमेर सिंह द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 26.11.2024 को आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन से आमने सामने हुई बातचीत को डिजिटल वॅाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिेकार्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॅाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी सुमेर सिंह एवं स्वतंत्र गवाहान उपरोक्त के समक्ष श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 से कार्यालय के लेपटॅाप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। उक्त वार्ता में परिवादी श्री सुमेर सिंह ने स्वंय की व आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन की आवाजों की पहचान की। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ता को लेपटॅाप की सहायता से उन चारों सीडीयों में वार्ता की पृथक-पृथक कॅापी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॅाईसरिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड SANDISK 32GB एवं दो सीडीयों की लेपटॅाप की सहायता से श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 से FTK Imager से सॅाफ्टवेयर से अलग-अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल पत्रावली

की गई। लेपटॅाप से डिजीटल वॅाईसरिकार्डर हटाकर उसमें से मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड SANDISK 32GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "ए" अकिंत किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क "ए-1" एवं दूसरी सीडी पर मार्क "ए-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक-पृथक प्लॅास्टीक के कवर में डालकर पृथक-पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क "ए-1" एवं "ए-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। तत्पश्चात समय 07.30 पीएम पर परिवादी श्री सुमेर सिंह द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 29.11.2024 को आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन से आमने सामने हुई बातचीत को डिजिटल वॅाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिेकार्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॅाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी सुमेर सिंह एवं स्वतंत्र गवाहान उपरोक्त के समक्ष श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 से कार्यालय के लेपटॅाप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। उक्त वार्ता में परिवादी श्री सुमेर सिंह ने स्वंय की व आरोपी श्री संजय चौधरी जेईएन की आवाजों की पहचान की। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ता को लेपटॅाप की सहायता से उन चारो सीडीयों में वार्ता की पृथक-पृथक कॅापी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। उक्त डिजीटल वॅाईसरिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड ADATA 32GB एवं दो सीडीयों की लेपटॅाप की सहायता से श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 से FTK Imager से सॅाफटवेयर से अलग-अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॅाप से डिजीटल वॅाईसरिकार्डर हटाकर उसमें से वक्त लेनदेन वार्ता का मेमोरी कार्ड ADATA 32GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी" अकिंत किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क "बी-1" एवं दूसरी सीडी पर मार्क "बी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक-पृथक प्लास्टीक के कवर में डालकर पृथक-पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क "बी-1" एवं "बी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। समय 08.00 पीएम पर आरोपी श्री संजय चौधरी कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अ.वि.वि.नि.लि. गुहाला, कैम्प चला, जिला नीमकाथाना के विरूद्ध् की गई ट्रेप कार्यवाही के दौरान हाथ धुलाई, बरामदगी रिश्वती राशि एंव पेन्ट धुलाई की विडियोग्राफी श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568 से उसके मोबाईल फोन में SANDISK 32GB मेमोरी कार्ड डलवाकर विडियोग्राफी से करवाई गयी थी। उक्त मेमोरी कार्ड में की गई विडियोग्राफी की रिकार्डिग से श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568 द्वारा लेपटॅाप के माध्यम से दूसरा मेमोरी कार्ड SANDISK 32GB में विडियोग्राफी को डाउनलोड किया जाकर पहले वाले मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क "सी" अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया एंव दूसरे मेमोरी कार्ड को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर जेईएन कार्यालय चला से रवाना होकर एसीबी चौकी सीकर पहूंचकर प्रकरण से संबंधित वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया। आरोपी श्री संजय चौधरी, कनिष्ठ अभियंता को सुरक्षा के लिहाज से बाद मेडिकल पुलिस थाना उद्योगनगर में दाखिल करवाया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री संजय चौधरी, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अ.वि.वि.नि.लि. गुहाला, कैम्प चला, जिला नीमकाथाना द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री सुमेर सिंह से उसके बिजली का मीटर बदलवाने की एवज में दिनांक 26.11.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 1500 रूपये बतौर रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 29.11.2024 को 1500 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना पृथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपी श्री संजय चौधरी, कनिष्ठ अभियंता का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री संजय चौधरी पुत्र श्री राजकरण सिंह, उम्र-30 वर्ष, जाति जाट, ढाणी मोदी वाली, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अ. वि.वि.नि.लि. गुहाला, कैम्प चला, जिला नीमकाथाना के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है। (सुभाष मील) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संजय चौधरी पुत्र श्री राजकरण सिंह, उम्र-30 वर्ष, जाति जाट, ढाणी मोदी वाली, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अ.वि.वि.नि.लि. गुहाला, कैम्प चला, जिला नीमकाथाना के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री इस्माईल खान,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुंनूं को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 442 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1545-48 दिनांक 30-11-2024 प्रतिलिपि

सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2, जयपुर। 2-सचिव(प्रशासन) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ISMAIL KHAN **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/11/2024 18:31:06

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/06/1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ||)